## छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

## कार्यवृत्त

दिनांक 09 अगस्त, 2017 के अपराह्न 4:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेण्टर फॉर एकेडिमिक्स भवन में सम्पन्न हुई कार्य परिषद की आपात बैठक की कार्यवाही :--

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :-

1.	प्रो० जे०वी० वैशम्पायन, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	अध्यक्ष
2.	प्रो० आर० सी० कटियार, प्रति-कुलपति (आचार्य आई.बी.एम.), सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
3.	डॉं० (श्रीमती) निरंजना शुक्ला, संकायाध्यक्ष, कला संकाय, जुहारी देवी गर्ल्स पी०जी० कालेज कानपुर	सदस्या
4.	डॉं० नीरज कुमार सिंह, उपाचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
5.	डॉं० राजेश कुमार, उपाचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
6.	<b>डॉ॰ संदीप कुमार सिंह,</b> उपाचार्य, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा प्रसार विभाग, सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰, कानपुर	सदस्य
7.	प्रो० सुभाष चन्द्र अग्रवाल, शिक्षा विभाग, सी. एस. जे. एम. वि. वि., कानपुर	सदस्य
8.	प्रो० संजय कुमार स्वर्णकार, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
9.	<b>डॉ० निरूपमा अशोक</b> , प्राचार्या, बी॰ए॰के॰पी॰ कालेज, लखीमपुर—खीरी	सदस्या
10.	डॉं० वी०के० गुप्ता, प्राचार्य, वी०एम० डिग्री कालेज, कायमगंज, फर्रुखाबाद	सदस्य
11.	डॉं० धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, हिन्दी विभाग, वी०जी०एम० पी०जी० कालेज, दिबियापुर, औरैया	सदस्य
12.	डॉ० के०एम० सचदेवा, वाणिज्य विभाग, डी०एन०पी०जी० कालेज, फतेहगढ, फर्रूखाबाद	सदस्य
12	श्री धीरेन्द्र कुमार तिवारी, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	
14.	श्री राम चन्द्र अवस्थी, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्य परिषद के उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

## मद सं. 1: माननीय उच्च न्यायालय के स्पेशल अपील सं. 15/2017 में दिये गये आदेश के अनुपालन में वित्त समिति की बैठक दिनांक 09.08.2017 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित स्पेशल अपील सं. 15/2017 में दिये गये आदेश के अनुपालन में वित्त समिति की बैठक दिनांकः 09.08.2017 की निम्नवत संस्तुति को सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुये शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया।

माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या—15/2017 में पारित आदेश विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न मदों में लिये जा रहे पंजीयन शुल्क; नामांकन शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, क्रीड़ा शुल्क एवं अन्य शुल्क महाविद्यालय/छात्रों से लिये जाते हैं जिनके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा—52(3)(c) के अन्तर्गत मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ड्राफ्ट अध्यादेश राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना है, शुल्क सम्बन्धी अध्यादेश का प्रारूप निम्नवत है—



## <u>Other Fee Ordinance for UG/PG Courses</u> <u>Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur DRAFT ORDINANCE</u>

Whereas it is necessary to charge Registration Fee/Enrollment Fee, Processing Fee, Games Fee or Other Fee from the students appearing in different university examinations to meet the expenses of examination and other administrative charges. The University is making the following ordinances.

By virtue of powers given to the Executive Council under section 7 (14), 21(iii) and (viii), 51(2)(j) and 52(3)(c) of the U.P. State Universities Act 1973, the following fee structure, as recommended by the Finance Committee, is being approved by the Executive Council of the Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur.

S. No.	Class	Faculty/Stream	Registration/ Enrolment Fee (In Rupess) (One Time)	Fee (In Rupess) (Per Exam)	Game Fee (In Rupess) (Per Year)	Other Fee (In Rupess)
1,	Graduation	Arts, Commerce, Science, Management, Fine Arts	Rs. 100	Rs. 50	Rs. 20	Provisional Certificate Fee – Rs. 300  Migration Certificate Fee – Rs. 300  Verification Fee – Rs. 300
2.	Post Graduation	Arts, Commerce, Science, Management, Fine Arts	Rs. 100	Rs. 50	Rs. 20	
3.	B.Ed./B.P.E d.	da ei de Mas	Rs. 100	Rs. 50	Rs. 20	Practical/Viv
4.	M.Ed./M.P. Ed.	I ST TENDE	Rs. 100	Rs. 50	Rs. 20	a Voce Fee (Second Exam) - Rs. 300 Transcript Fee - Rs. 700 (For all courses) Rs. 500/- UG/PG Courses. Rs. 700/-
5.	LL.B, B.A.LL.B,L L.M		Rs. 100	Rs. 50	Rs. 20	
6.	M.Sc.	All professional courses	Rs. 100	Rs. 50	Rs. 20	
7.	B.Sc.	Nursing/Post Basic	Rs. 100	Rs. 50	Rs. 20	
8.	B.Tech./B.P harma		Rs. 100	Rs. 50	Rs. 20	

						UG/PG Combind Courses. Rs. 100/-per additional Copy.
9.	M.Tech./ M.Pharma	- UN HE	Rs. 100	Rs. 50	Rs. 20	Degree Fee
10.	MBBS/ BAMS/BU MS/ BDS		Rs. 100	Rs. 50	Rs. 20	Rs. 800 + Rs.500/-
11.	M.Ch/P.G. Diploma (Medical)/ MD/MS/ DM		Rs. 100	Rs. 50	Rs. 20	Extra maintenanc e charges Rs. 500/- for degree of
11.	M.Phil/Ph.D		Rs. 100	Rs. 50	Rs. 20	the year 2000 or before.

- 2. In accordance with section 52(5), of the Act, this fee structure will be effective from the academic session 2012-13.
- On account of this ordinance, no additional fee will be charged or paid from the student for any short or access payment after this ordinance comes into effect.
- 4. There will be a last date for the submission of any fee and the requisite fee will be deposited in the University account within the last date fixed by the University. After this date the University may allow submission of fee or any document for which the Late-fee will be charged by the university. The amount of 'Late-fee' will be decided by the Vice Chanceller.
- 5. As per section 52(3)(c) of the Act, this draft of the ordinance will be sent to the State Government for its approval before it is communicated to the Hon'ble Chanceller of the University.

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(प्रो० जे०वी० वैशम्पायन)

कुलपति / अध्यक्ष

(राम चन्द्र अवस्थी)

कुलसचिव / सचिव